रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06072022-237126
CG-DL-E-06072022-237126

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2954] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
No. 2954] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3104(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय के भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड(ii) में प्रकाशित तारीख 14 सितम्बर, 2006 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1533(अ) के अनुसरण में, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में सं. का.आ. 107(अ) के तहत प्रकाशित भारत सरकार की तारीख 11 जनवरी, 2021 की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 5 में क्रम संख्या 1 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(1). डॉ राकेश कुमार
फ्लैट 14, विनोद विला सीएचएस लिमिटेड
बीजी खेर मार्ग, वर्ली, मुम्बई – 400018 - अध्यक्ष;"।

[फा. सं. जे-11013/30/2007-आईए II (I)]

तन्मय कुमार, अपर सचिव

टिप्पणी : मूल अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी, 2011को संख्या का.आ 107 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th July, 2022.

S.O. 3104(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, section 3, sub section (ii) number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change published in the Gazette of India, Extraordinary Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 107(E), dated the 11th January, 2021, namely:-

In the said notification, in paragraph 5, for serial number 1.and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

" (1.) Dr. Rakesh Kumar
Flat 14, Vinod Villa CHS Ltd.
BG Kher Marg, Worli, Mumbai-400018 - Chairman;".

[F.No.J-11013/30/2007-IAII (I)]

TANMAY KUMAR, Addl. Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 107 (E), dated the 11th January, 2021.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12012021-224352
CG-DL-E-12012021-224352

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 93] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 12, 2021/पौष 22, 1942
No. 93] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 12, 2021/PAUSHA 22, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2021

का.आ. 107(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में और भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 850(अ), तारीख 17 मार्च, 2017 का अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण महाराष्ट्र (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण, महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

1.	श्री विजय शांतिलाल नाहटा, आईएएस (सेवानिवृत्त), 601, 6 "मंजिल, एनकेएम इंटरनेशनल हाउस, एलआईसी योगक्षेम बिल्डिंग के पीछे, 177 बाबूभाई चिनॉय मार्ग, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400020, महाराष्ट्र।	अध्यक्ष;

2.	श्री पंकज मोहन जोशी, 2/204, यशोधान अपार्टमेंट, चार बंगले, जे.पी. रोड, अंधेरी (पश्चिम), मुंबई - 400053, महाराष्ट्र।	सदस्य; और
3.	प्रधान सचिव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य-सचिव

2. प्राधिकरण महाराष्ट्र, के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण, महाराष्ट्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जो उक्त राजपत्र की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं।

4. प्राधिकरण, महाराष्ट्र इस अधिसूचना द्वारा महाराष्ट्र राज्य के लिए गठित राज्य स्तरीय विशेषज्ञ अंकन समितियों (एसईएसी) की सिफारिशों पर अपना विनिश्चय लेगा।

5. केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र की राज्य सरकार, के परामर्श से प्राधिकरण महाराष्ट्र, सहायता करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में उद्योग, खनन और सिंचाई से संबंधित सभी परियोजनाओं के लिए पहला राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् पहला एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्:—

1.	डॉ विजय कुलकर्णी, एल 503 सेना सीएचएस, सेक्टर- 9, नेरुल, नवी मुंबई - 400706, महाराष्ट्र।	अध्यक्ष;
2.	श्रीमती कविता टकले, सर्वे नंबर 25, 2/1/9, विशाल नगर, पिंपल निलाख, पुणे - 411027, महाराष्ट्र।	सदस्य;
3.	मि. कुंदन बालकृष्ण देशमुख, एच -36, एन -5, सिडको, सत्यम नगर, औरंगाबाद - महाराष्ट्र।	सदस्य;
4.	श्री चंद्रशेखर मराठे, 202, सुशील गार्डन -3 सी.एच.एस., 52 बंगला, पुराना थाना नाका रोड, एट और पोस्ट-पनवेल, जिला.- रायगढ़-410206, महाराष्ट्र।	सदस्य;
5.	श्री जीवन वी. पटगांवकर, 604/ए -2, वाइकास कॉम्प्लेक्स, कैसल मिल कंपाउंड, लाल बहादुर शास्त्री मार्ग, ठाणे- (पश्चिम) 400601, महाराष्ट्र।	सदस्य; और
6.	उप सचिव या वैज्ञानिक- I; और उपरोक्त । पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य-सचिव

IndiaCode

6. केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र की राज्य सरकार, के परामर्श से प्राधिकरण महाराष्ट्र, सहायता करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में मुंबई मेट्रोपोलिटन रीज़न और कोंकण रीज़न के लिए दूसरा राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् दूसरा एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्:—

1.	श्री सुधीर मानिकराव खानपुरे आईएएस (सेवानिवृत्त), फ्लैट नंबर ए/701, रनवाल रीजेंसी, 9, कनॉट रोड, पुणे- 411001, महाराष्ट्र।	अध्यक्ष;
2.	श्री बम्बले रमेश बालकृष्ण, ए/1202,ऊमीया टावर सी.एच.एस.एल,सी.डी. देशमुख गार्डन, के पीछे मुलुंड € मुंबई- 400081, महाराष्ट्र।	सदस्य;
3.	डॉ.गणेश भीमराव रसाल 30/1, आर-रेजीडेंसी, 102, उत्कर्ष सोसायटी, कटराज, पुणे – 411046 महाराष्ट्र।	सदस्य;
4.	डॉ. नितिन एम. लेभने, एसोसिएट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान, बी -606 श्री हरि सीएचएस, आरटीओ लेन, चार बंगला, अंधेरी-पश्चिम, मुंबई -400053, महाराष्ट्र।	सदस्य; और
5.	उप सचिव या वैज्ञानिक- I, और उपरोक्त । पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य-सचिव

IndiaCode

7. केंद्रीय सरकार, महाराष्ट्र की राज्य सरकार, के परामर्श से प्राधिकरण महाराष्ट्र, सहायता करने के लिए महाराष्ट्र राज्य में मुंबई मेट्रोपोलिटन रीज़न और कोंकण रीज़न के लिए तीसरा राज्य विशेषज्ञ अंकन समिति (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् तीसरा एस.ई.ए.सी., महाराष्ट्र कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं, अर्थात्:—

1.	श्री दीपक म्हैसेकर, भारतीय प्रशासनिक सेवा(सेवानिवृत्त) फ्लैट सं. 1204 (12 "मंजिल), गेटवे टॉवर नंबर 98, सेक्टर आर -8, अमनोरा पार्क टाउन, हडपसर, पुणे- 411028, महाराष्ट्र।	अध्यक्ष;
2.	श्री मुकुन्द पाठक 502, वैदेही एप्स, सज्जनवाड़ी, मुलुंड पूर्वी मुंबई- 400081, महाराष्ट्र।	सदस्य;
3.	श्री दत्तात्रेय थोराट, प्लॉट सं. 34, हरसिद्धि हाउसिंग सोसाइटी मयूर पार्क जलगाँव रोड औरंगाबाद, महाराष्ट्र।	सदस्य;
4.	मि. किरण वसंत आचरेकर, फ्लैट सं.1000,दसवां तल 11वां रोड सुपरलिने चेमबर मुंबई - 400071, महाराष्ट्र।	सदस्य;

5.	डॉ. असीम गोकर्ण हरवंश, 704,47, सीवुड्स एस्टेट, एनआरआई कॉम्प्लेक्स, फेज -2, पाम बीच आरडी, वाशी नवी मुंबई 400703।	सदस्य; और
6.	उप सचिव या वैज्ञानिक- I, और उपरोक्त । पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार।	सदस्य-सचिव

8. पहले एस.ई.ए.सी. दूसरे एस.ई.ए.सी. और तीसरे एस.ई.ए.सी. महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष के लिए पद धारण करेंगे।

9. हित के किसी विरोध से बचने के लिए,—

(क) प्राधिकरण महाराष्ट्र और पहले एसईएसी, दूसरे एसईएसी और तीसरे एसईएसी महाराष्ट्र, के अध्यक्ष और सदस्य, किस परामर्शदाता संगठन को घोषित करेगा वे परियोजना के प्रस्तावकों के साथ भी जुड़े रहे हैं:

(ख) वे परियोजना के लिए पर्यावरण समाघात निर्धारण (ईआईए) और पर्यावरण प्रबंधन योजना परियोजना, तैयारी के साथ कोई परामर्श या सहयोग नहीं करेंगे जिसे उनके कार्यकाल दौरान प्राधिकरण, गोवा और एसईएसी, गोवा द्वारा अंकन किया जाना है; और

(ग) यदि पिछले पाँच वर्षों में, प्राधिकरण महाराष्ट्र और पहले एसईएसी, दूसरे एसईएसी और तीसरे एसईएसी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष या सदस्यों में से कोई भी, है किसी भी परियोजना के प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएँ प्रदान करता है या ईआईए अध्ययन प्रदान करता है, उस घटना में ऐसे प्रस्तावक द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के अंकन की प्रक्रिया में वे खुद को प्राधिकरण, गोवा और एसईएसी, गोवा की बैठकों से हटा देंगे

10. पहला एसईएसी दूसरा एसईएसी और तीसरा एसईएसी, महाराष्ट्र ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और उक्त राजपत्र अधिसूचना में प्रगणित की गई प्रक्रियाओं का पालन करें।

11. पहला एसईएसी, दूसरा एसईएसी और तीसरा एसईएसी, महाराष्ट्र सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

12. महाराष्ट्र राज्य सरकार, प्राधिकरण महाराष्ट्र और पहले एसईएसी, दूसरे एसईएसी और तीसरे एसईएसी, महाराष्ट्र के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेंगी और सभी वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उनके सभी कानूनी कृत्यों की बाबत अन्य सुविधाएं भी हैं, उपलब्ध कराएगी ।

13. प्राधिकरण महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य, महाराष्ट्र और पहले एसईएसी दूसरे एसईएसी और तीसरे एसईएसी, महाराष्ट्र के अध्यक्ष और सदस्य, को बैठक की फीस, यात्रा भत्ते और महंगाई भत्ते महाराष्ट्र राज्य सरकार के विदयमान नियमों के अनुसार भुगतान किया जाएगा।

[फा.सं. जे-11013/30/2007-आईए.II (I)]

सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th January, 2021

S.O. 107(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said Gazette notification), and in supersession of the notification number S.O. 850(E) dated the 17th March, 2017 of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby constitutes the State Level Environment Impact Assessment Authority, Maharashtra (hereinafter referred to as the Authority, Maharashtra) comprising of following Members, namely:—

1.	Shri Vijay Shantilal Nahata, IAS (Retired), 601, 6th Floor, NKM International House, behind LIC Yogakshema Building, 177 Babubhai Chinoy Marg, Nariman Point, Mumbai – 400020, Maharashtra.	Chairman;
2.	Shri Pankaj Mohan Joshi, 2 / 204, Yashodhan Apartments, Four Bungalows, J.P Road, Andheri (West), Mumbai - 400053, Maharashtra.	Member; and
3.	Principle Secretary, Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra.	Member-Secretary.

2. The Chairman and Members of the Authority, Maharashtra shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority, Maharashtra shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

4. The Authority, Maharashtra shall take its decision on the recommendations of the State level Expert Appraisal Committees (SEACs) constituted for the State of Maharashtra by this notification.

5. To assist the Authority, Maharashtra, the Central Government in consultation with the State Government of Maharashtra, hereby constitutes the First State Expert Appraisal Committee for all the projects related to Industries, Mining and Irrigation in the State of Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as the first SEAC, Maharashtra) comprising of the following members, namely:—

1.	Dr. Vijay Kulkarni, L 503 Army CHS, Sector- 9, Nerul, Navi Mumbai – 400706, Maharashtra.	Chairman;
2.	Mrs. Kavita Takale, Survey No.25, 2/1/9,Vishal Nagar, Pimple Nilakh, Pune - 411027, Maharashtra.	Member;
3.	Mr. Kundan Balkrishna Deshmukh, H-36, N-5, CIDCO, Satyam Nagar, Aurangabad – Maharashtra.	Member;
4.	Shri Chandrashekhar Marathe, 202, Sushil Garden-3 C.H.S., 52 Bungalow, Old Thana Naka Road, At& Post- Panvel, Dist.- Raigad-410206, Maharashtra.	Member;
5.	Shri Jeevan V. Patgaonkar, 604/A-2, VIKAS COMPLEX, Castle Mill Compound, Lal Bahadur Shastri Marg, Thane- (West) 400601, Maharashtra.	Member; and
6.	Deputy Secretary or Scientist-I; and above Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra.	Member-Secretary.

IndiaCode

6. To assist the Authority, Maharashtra, the Central Government in consultation with the State Government of Maharashtra, hereby constitutes the Second State Expert Appraisal Committee for Mumbai Metropolitan Region and Konkan Region in the State of Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as second SEAC, Maharashtra) comprising of the following Members, namely: —

1.	Shri Sudhir Manikrao Khanapure, IAS (Retired), Flat No. A/701, Runwal Regency, 9, Connaught Road, Pune- 411001, Maharashtra.	Chairman;
2.	Mr. Bambale Ramesh Balkrishna, A/1202, Umiya Tower CHSL, Behind C.D. Deshmukh Garden, Mulund € Mumbai- 400081, Maharashtra.	Member;
3.	Dr. Ganesh Bhimrao Rasal, 30/1, R-Residency, 102, Utkarsh Society, Katraj, Pune – 411 046, Maharashtra.	Member;
4.	Dr. Nitin M. Labhane, Associate Professor, Botany, B-606 Shri Hari CHS, RTO Lane, Four Bunglows, Andheri-West, Mumbai-400053, Maharashtra.	Member; and
5.	Deputy Secretary or Scientist-I, and Above Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra.	Member-Secretary.

7. To assist the Authority, Maharashtra, the Central Government in consultation with the State Government of Maharashtra, hereby constitutes the Third State Expert Appraisal Committee, except for Mumbai Metropolitan Region and Konkan Region, in the State of Maharashtra (hereinafter in this notification referred to as third SEAC-, Maharashtra) comprising of the following Members, namely:—

1.	Shri Deepak Mhaisekar, Indian Administrative Service (Retired), Flat No. 1204 (12th Floor), Gateway Tower No. 98, Sector R-8, Amanora Park Town, Hadapsar, Pune- 411028, Maharashtra.	Chairman;
2.	Shri Mukund Pathak, 502, Vaidehi Apts, Sajjanwadi, Mulund East Mumbai- 400081, Maharashtra.	Member;
3.	Shri Dattatray Thorat, Plot no. 34, Harsiddhi housing society Mayur Park Jalgaon Road Aurangabad, Maharashtra.	Member;
4.	Mr. Kiran Vasant Acharekar, Flat No 1000, 10th Floor, 11th Road, Supralina , Chembur, Mumbai – 400071, Maharashtra.	Member;
5.	Dr. Aseem Gokarn Harwansh, 704,47, Seawoods Estate, NRI Complex, Phase-2, Palm Beach Rd,Vashi Navi Mumbai 400703.	Member; and
6	Deputy Secretary or Scientist-I, and Above Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra.	Member- Secretary.

8. The Chairman and Members of the first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra shall hold office for a term of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

9. In order to avoid any conflict of interest,—

(a) the Chairman and Members of the Authority, Maharashtra and first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra shall declare to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents;

(b) they shall not undertake any consultation or associate with preparation of Environment Impact Assessment (EIA) and Environment Management Plan for a project, which is to be appraised by the Authority, Goa and SEAC, Goa during their tenure; and

(c) if in the past five years, the Chairman or any of the Members of the Authority, Maharashtra and first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra have provided consultancy services or conducted EIA studies for any project proponent, in that event they shall recuse themselves from the meetings of the Authority, Goa and SEAC, Goa in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

10. The first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra shall exercise such powers and follow such procedures as enumerated in the said Gazette notification.

11. The first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavor to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

12. The State Government of Maharashtra shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority, Maharashtra and the first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra. The Secretariat shall provide all financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of all its statutory functions.

13. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Member of the Authority, Maharashtra and the Chairman and Members of the first SEAC, second SEAC and third SEAC, Maharashtra shall be paid in accordance with the existing rules of the State Government of Maharashtra.

[F.No. J-11013/30/2007- IA.II (I)]

SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

IndiaCode

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.01.12 21:16:03 +05'30'